PRADHAN MANTRI KISAN MAAN-DHAN YOJANA (PM-KMY)

Fequently Asked Questions (FAQs)

1. What is Pradhan Mantri Kisan Maan-dhan Yojana (PM-KMY)?

It is an old age pension scheme for all land holding Small and Marginal Farmers (SMFs) in the country. It is a voluntary and contributory pension scheme for the entry age group of 18 to 40 years with a provision of payment of Rs. 3000/- monthly pension on attaining the age of 60 years, subject to certain exclusion criteria.

2. What is the definition of Small and Marginal landholder farmer?

A Small and Marginal landholder farmer is defined as a farmer who owns cultivable land upto 2 hectare as per land record of the concerned State/UT.

3. What are the benefits of the scheme?

Under the scheme, the subscriber would receive the following benefits:

(i) **Minimum Assured Pension**: Each subscriber under the PM-KMY shall receive minimum assured pension of Rs. 3000/- per month after attaining the age of 60 years.

(ii) **Family Pension**: During the receipt of pension, if the subscriber dies, the spouse of the beneficiary shall be entitled to receive 50% of the pension received by the beneficiary as family pension provided he/she is not already a beneficiary of the scheme. Family pension is applicable only to spouse.

(iii) If a beneficiary has given regular contribution and died of any cause (before age of 60 years), his/her spouse will be entitled to join and continue the scheme subsequently by payment of regular contribution or exit the scheme as per provisions of exit and withdrawal.

4. Who is eligible to get the benefits under the Scheme?

All Small and Marginal Farmers having cultivable landholding upto 2 hectares falling in the age group of 18 to 40 years, whose names appear in the land records of States/UTs as on 01.08.2019 are eligible to get benefit under the Scheme. However, out the these, the following are ineligible to get the benefits:

(i) SMFs covered under any other statuary social security schemes such as National Pension Scheme (NPS), Employees' State Insurance Corporation scheme, Employees' Fund Organization Scheme etc.
(ii) Farmers who have opted for Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan Yojana (PM-SYM) administered by the Ministry of Labour & Employment.
(iii) Farmers who have opted for Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-dhan Yojana (PM-LVM) administered by the Ministry of Labour & Employment.

(iv) Further, the following categories of beneficiaries of higher economic status shall not be eligible for benefits under the scheme:

(a) All Institutional Land holders; and
(b) Former and present holders of constitutional posts
(c) Former and present Ministers/ State Ministers and former/present Members of Lok Sabha/ Rajya Sabha/ State Legislative Assemblies/ State Legislative Councils,former and present Mayors of Municipal Corporations, former and present Chairpersons of District Panchayats.
(d) All serving or retired officers and employees of Central/ State Government Ministries/ Offices/Departments and its field units Central or State PSEs and Attached offices/ Autonomous Institutions under Government as well as regular employees of the Local Bodies *(Excluding Multi Tasking Staff / Class IV/Group D employees)*
(e) All Persons who paid Income Tax in last assessment year.
(f) Professionals like Doctors, Engineers, Lawyers, Chartered Accountants, and Architects registered with Professional bodies and carrying out profession by undertaking practices.

5. What is the cut-off date for determination of eligibility of beneficiaries under the scheme?

The cut-off date for determination of eligibility of beneficiaries under the scheme shall be 01.08.2019.

6. What is the rate of contribution by Small and Marginal Farmers under the Scheme?

The rate of contribution for the eligible subscriber varies between Rs. 55/- to Rs. 200/- per month depending upon the age of entry as detailed below:

Entry Age	**Superannuation Age**	**Member's contribution (Rs.)**	**Government's contribution (Rs.)**	**Total contribution (Rs.)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
18	60	55	55	110
19	60	58	58	116
20	60	61	61	122
21	60	64	64	128
22	60	68	68	136
23	60	72	72	144
24	60	76	76	152
25	60	80	80	160
26	60	85	85	170
27	60	90	90	180
28	60	95	95	190
29	60	100	100	200
30	60	105	105	210

31	60	110	110	220
32	60	120	120	240
33	60	130	130	260
34	60	140	140	280
35	60	150	150	300
36	60	160	160	320
37	60	170	170	340
38	60	180	180	360
39	60	190	190	380
40	60	200	200	400

7. Whether an employee of the Central/State Government/PSU/Autonomous Organization, etc. is eligible to get the benefit under the scheme?

No. Serving or retired officer and employee of Central/State Government Ministries/Departments/Offices and its field units, Central and State PSEs and Attached Offices/Autonomous Institutions under the Government as well as regular employees of the Local Bodies are not eligible to get the benefit under the scheme. However, serving or retired Multi Tasking Staff/ Class IV/Group D employee is eligible to get the benefit under the scheme, subject to fulfilment of other eligibility criteria.

8. Will any individual farmer owing more than 2 hectare of cultivable land get any benefit under the scheme?

No. Any individual farmer owning more that 2 hectare of cultivable land will not be eligible to get benefit under the scheme.

9. What will happen if the beneficiary gives incorrect declaration to be an eligible subscriber of the scheme?

In case of incorrect declaration, the beneficiary shall be liable to get back his contributions without any interest thereon. The Central Government's matching contribution will be stopped.

10. Does any person/farmer who is not having land holding in his name is eligible to get benefit under the scheme?

No. Land holding is the criteria to be eligible to get the benefit under the scheme.

11. How the subscriber under the scheme will be identified and shortlisted under the scheme?

The prevailing land ownership system /record of land in different States/UTs will be used to identify the eligible SMF, subject to exclusion criteria.

12. What will be the Mandatory information required for registration of eligible subscriber under the scheme?

The beneficiary will provide following information at the time of registration

- Farmer's / Spouse's name
- Farmer's / Spouse's date of birth
- Bank account number
- IFSC/ MICR Code
- Mobile Number
- Aadhaar Number
- Other customer information as available in the passbook which is required for mandate registration

The onus of recording the correct details of the customer and validation of customer will be on Common Service Centre e-Governance Services India Limited – Special Purpose Vehicle (CSC-SPV) or the State Nodal Officers (SNOs) under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan) Scheme. If there are any dispute at a later date by the customer on the debits to his/her account, the onus of resolving the dispute to the satisfaction of the customer will entirely rest with LIC.

13. Who will act as Pension Fund Manager for the Scheme?

Life Insurance Corporation of India (LIC) shall be the Pension Fund Manager and responsible for Pension Pay-Out.

14. Can contribution to the scheme may be made from the benefits received from PM-KISAN Scheme?

Yes. The SMFs shall have the option to allow payment of his/her voluntary contribution to the Scheme from the financial benefits received by them from the PM-KISAN Scheme, directly.

The eligible SMFs who are desirous of using their PM-Kisan benefit for contributing for PM-KMY, will have to sign and submit an enrolment-cum-auto-debit-mandate form for giving their consent for auto-debiting their bank accounts, in which their PM-Kisan benefits are credited, so that their contributions are automatically paid.

15. How the monthly contribution can be made by a subscriber, if he is not willing to give their consent for auto-debit from PM-KISAN benefits or are not a beneficiary of PM-KISAN?

The eligible SMFs who are not beneficiaries of PM-Kisan or who have not given consent to allow payment from the benefit of PM-Kisan shall submit an enrolment-cum-auto-debit mandate form for giving their consent to auto-debit a bank account which is normally used by them for bank transactions.

16. What would constitute a Pension Fund?

The Central Government through the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare shall also contribute an equal amount as contributed by the

eligible subscriber, to the pension Fund. Account of such co-contributions shall be maintained separately by the LIC and these co-contributions along with fund earnings from time to time shall be utilized for pension payment on the date of vesting. Co-contributions would not be paid to subscribers in case of pre-mature exits. In such a case, the co-contributions along with fund earnings will be transferred back to Pension Fund.

17. Will State/UT Governments are permitted to share the burden of individual SMF beneficiary contribution?

Yes. The State / UT Governments will have the option of sharing the burden of individual SMF beneficiary's contribution.

18. What will be the due date for monthly contribution?

The monthly contributions will fall due on the same day every month as enrolment date. The beneficiaries may also chose an option to pay their contributions on quarterly, 4-monthly or half-yearly basis. Such contributions will fall due on the same day of such period as the date of enrollment.

19. Can the spouse of a subscriber continue in case of death of the subscriber before vesting date? What are the eligible benefits under various circumstances ?

In case of death of subscriber before vesting date, the spouse of subscriber shall have an option of continuing the scheme by payment of remaining contributions under the scheme, provided she/he is not already an SMF beneficiary of the Scheme. The rate of contribution and vesting date shall remain the same. Pension accruals will be calculated as if subscriber were to be alive on the vesting date. However, the same pension would be payable to the spouse. Upon death of spouse after vesting date, pension corpus would be transferred back to Pension Fund.

In case of death of subscriber before vesting date, if the spouse does not exercise option of continuing under the scheme, then subscribers' contributions along with fund interest earned or Savings Bank Interest whichever is higher would be payable to the spouse under the scheme.

In case of death of subscriber before vesting date, if there is no spouse, then subscribers' contributions along with fund interest earned or Savings Bank Interest, whichever is higher, would be payable to the nominee/s under the scheme. The co-contributions made by Government along with fund interest earned after adjusting for difference between Savings Bank Interest payable and fund interest earned, if any will be credited back to Pension fund of Government.

If a subscriber dies after the date of vesting, his/her spouse shall be entitled to receive 50% of the pension received by such eligible subscriber as Family Pension, provided she/he is not already an SMF beneficiary of the Scheme, and such family pension shall be applicable only to the spouse.

After death of subscriber as well as of his/her spouse, the corpus i.e. total accumulated contributions made by the subscriber and the Government shall be credited back to the fund.

20. When CSC would issue a Pension Card to the subscriber?

Upon completion of enrolment process at Common Service Centres (CSC), an enrolment-cum-auto-debit-mandate form will be generated for taking consent of those farmers who are also beneficiaries of PM-Kisan Scheme for auto-debiting their PM-Kisan benefits from their bank accounts and signed by the subscriber.

In respect of those farmers who are not beneficiaries of PM-Kisan Scheme, the enrolment-cum-auto-debit-mandate form will be generated for taking their consent for auto-debiting their active bank accounts and signed by the subscriber.

The CSC Centres would scan the signed enrolment-cum-auto-debit mandate form and upload the same on the CSC system.

Subsequent to this a pension card would be generated and given to subscriber as proof of pension account having been opened.

21. Whether the applicant farmers / their spouse will be charged any fee for enrolment under the Scheme?

The enrolment at CSC Centres is free of cost and the applicant farmers / their spouse shall not have to pay any charge for the purpose.

22. What is the alternative mechanism for registration of eligible beneficiary other than enrolment through CSC?

The eligible beneficiaries may alternatively also enrol themselves by contacting physically the State Nodal Officers (SNOs) (or agencies designated by them) in their respective districts.

23. How the subscriber will change his bank details or any other details which are not correct?

A Subscriber, who desires to change the bank details or any other details which are incorrect, will approach CSC or the Village Level Entrepreneur (VLE) present at the CSC, along with PM-KMY number and Aadhaar Card. However, the Date of Birth of the Subscriber cannot be changed at any time. The VLE at CSC will validate the credentials of the Member on the payment of the Amount / Fee as prescribed by the Government from time to time.

24. What are the provisions relating to default in payment of contributions?

(a) It may so happen that subscriber's bank account may not have sufficient funds for auto-debit of contributions to be successful. When contribution auto-debit is not successful on payment cycle immediately

following the contribution due date, the subscriber's account will be deemed to have defaulted or will be treated as an account in default.

(b) The demand would then be repeated in the next payment cycle.

(c) When a PM-KMY Pension Account is in default, the same may be regularized with payment of all contributions that have fallen due along with interest as follows :

(i) Until 1 month from first unpaid contribution: No late fee would be charged. Account can be regularized by paying contribution amount only. Three payment cycles demand would be raised for payment of contribution without any interest.

(ii) After one month from last unpaid contribution :

(1) Payments would be processed on specified payment cycle dates.

(2) No interest would be charged on the amount of contribution that became due immediately preceding the payment cycle date.

(3) However, if there are arrears of installments due on the due date immediately preceding the payment cycle date, late fee or at saving bank interest would be charged. Such late fee would be computed on each of the installment from due date of installment to the due date preceding the payment cycle date. If the period of default of a particular installment is up to 12 months, the reckoning of interest would be simple interest method. But if period of default of a particular installment is over 12 months, then compounding interest would be reckoned for completed number of years' part and for remaining period simple interest would be reckoned.

(4) The rate of interest/late fee would be the one that is prevailing on the date of payment cycle date, as declared by the Government from time to time.

(5) In case of dispute, the decision of LIC of India would be binding on subscriber.

(iii) The interest/late fee charged would be credited into pension account and shall be part of fund earnings under the scheme.

(iv) Interest is reckoned only from the date of remittance and credited on annual basis.

(v) Matching amount of co-contribution shall be credited by GOI which shall be maintained separately and this portion shall be utilized only for pension corpus on the vesting date.

(d) If contributions remain unpaid for a period of six months, such account status would be changed to 'dormant account' and for dormant accounts demand would not be raised further. Suitable SMS alerts / notices would,

however, be sent for the dormant status accounts for a period of three years from date of first unpaid contribution. He/she will, however, be allowed to regularize his/her contribution by paying the entire outstanding dues, along with interest of the rate as determined by the Government from time to time.

(e) After lapse of period of three years from the date of last unpaid contribution, SMS alerts / notices would be stopped. However, Subscriber may make inquiries about status of his account through dedicated call centre or make on-line web inquires. He/she will, however, be allowed to regularize his/her contribution by paying the entire outstanding dues, along with interest of the rate as determined by the Government from time to time.

(f) If a beneficiary becomes ineligible for the Pension under PM-KMY, his account will be active but Government's contribution (50%) shall be stopped. If beneficiary agrees to pay the entire amount of the contribution, he will be allowed to operate the account. At the age of 60, he shall be allowed to withdraw his contribution with an interest equivalent to the prevailing saving bank rates.

25. Is there any provision for commutation of pension under the scheme?

There is no provision for commutation of pension.

26. What is the process of nomination under the scheme?

Every Subscriber shall appoint / nominate the spouse or dependants as Beneficiary or Beneficiaries under the Scheme to receive the benefits hereunder in the event of the death of the subscriber.

Every appointment / nomination to be made under this Rule shall be in writing signed by the subscriber and shall remain in full force and effect until the death of the Beneficiary or until the same will be revoked in writing by the subscriber by whom the same was made and a fresh appointment / nomination is made in the manner aforesaid.

A subscriber may from time to time or at any time without the consent of the nominee, if any, revoke or change the nominee by filling a written notice of the change online or at the CSC in the prescribed form whereupon an acknowledgement of the change and the registration of the name of the new Nominee will be given to the subscriber online / at the CSC. The New appointment shall take effect on the date the notice was signed whether or not the subscriber is living on the date of acknowledgement of the change without prejudice to the Corporation on account of any payment made before the acknowledgement of the change.

If a Nominee shall at the time of his appointment be a minor or otherwise under disability to give a legal receipt or discharge to the LIC the subscriber must at the time of such appointment as aforesaid appoint a person who is major and who is

capable of giving a legal receipt or discharge to the Corporation and to whom the benefits are to be paid for and on behalf of such Nominee so long as such minority or disability continues.

If more than one Nominee is appointed and in such appointment the Subscriber has failed to specify their respective interest, the Nominees so named shall share equally. If any designated Nominee predeceases the Subscriber the interest of such Nominee shall terminates and his share shall be payable equally to such of the remaining Nominees as survive the Subscriber unless the Subscriber has made written request otherwise to the LIC in the prescribed form.

27. What is the process of Review, Monitoring and Grievance Redressal Mechanism?

An Empowered Committee under the Chairmanship of Cabinet Secretary with Secretaries of the Department of Agriculture & Farmers' Welfare, the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), the Department of Expenditure, the Department of Financial Services and any other Secretary concerned as members shall review and monitor implementation of the Scheme through appropriate implementation strategies and to approve any modifications in the Scheme within the within the overall financial parameters of Scheme approved by the Cabinet, for effective implementation.

The overall implementation of the Scheme would be done by the Project Monitoring Unit (PMU) set up for PM-Kisan Scheme at Central level in the DAC&FW. The PMU shall also undertake publicity campaign (Information, Education and Communication-IEC) for the Scheme and also incur various administrative expenses.

Each State/UT Government will designate a Nodal Department for implementation of the scheme and coordinating with Central Government with regard to implementation of the Scheme.

A Grievance Redressal Cell shall be set up both at State and District Levels accordingly with representation of State Nodal Officers, State Level Bankers' Committee and Regional Manager, LIC. Similarly, District Levels shall have DLBC and LIC Representatives along with District level Government Officers.

All disputes to the extent of and limited to the transactions routed through National Automated Clearing House (NACH) system should be routed by the banks through the Dispute Management System (DMS) provided by NPCI. The disputes so raised on the Sponsor Bank shall be resolved within 30 days from the date of dispute. If the Sponsor Bank fails to respond / resolve the dispute within agreed time line, the disputed amount will be debited to the settlement account of the Sponsor Bank maintained with Reserve Bank of India (RBI).

Any disputes other than that detailed above shall be resolved by LIC, Sponsor Bank and the Ministry without any liability on the other participating stakeholders.

Any matter related to execution, grievance redressal, dispute resolution etc. may be referred to the Joint Secretary (Farmers Welfare), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & farmers Welfare, Krishi Bhavan, New Delhi – 110001.

****

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई)

संभावित प्रश्न और उनके उत्तर

1. प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना पीएम-केएमवाई क्या है?

यह देश के सभी भू-धारक लघु और सीमांत कृषकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन स्कीम है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा और उन्हें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000/- रु. की मासिक पेंशन के भुगतान की व्यवस्था है, इसके अंतर्गत् कतिपय अपवर्जन मानदण्ड भी रखे गए हैं।

2. लघु और सीमांत भू-धारक किसान की क्या परिभाषा है?

लघु और सीमांत भू-धारक किसान वह किसान है जिसके स्वामित्व में संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के भू-अभिलेख के अनुसार 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है।

3. इस स्कीम के लाभ क्या हैं?

स्कीम के अंतर्गत अभिदाता निम्नलिखित लाभ प्राप्ति करेगा :

i. **न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन :** पीएम-केएमवाई के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रु. की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करेगा।

ii. **परिवार पेंशन :** पेंशन प्राप्त करने के दौरान यदि अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो उसका/उसकी पति/पत्नी परिवार पेंशन के रूप में लाभग्राही द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन का 50 प्रतिशत प्राप्त करने का हकदार होगा/होगी बशर्ते वह पहले से इस स्कीम के तहत लाभग्राही नहीं है। परिवार पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए लागू होगी।

iii. यदि लाभग्राही नियमित रूप से अभिदान करता है और किसी कारण से (60 वर्षकी आयु प्राप्त करने से पहले) उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका/उसकी पति/पत्नी स्कीम में शामिल होने और बने रहने का पात्र होगा/होगी और उसके बाद नियमित अभिदान का भुगतान करेगा/करेगी या योजना त्यागने और निकलने के प्रावधान के अनुसार स्कीम को छोड़ सकेगा।

4. स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?

18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 2 हेक्टैयर तक कृषि योग्य भू-धारक सभी लघु और सीमांत किसान जिनके नाम 01.08.2019 की स्थिति के अनुसार संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के भू-अभिलेख में हैं, इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। तथापि, इनमें से निम्नलिखित यह लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं:-

(i) राष्ट्रीय पेंशन स्कीम,कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम आदि जैसी किसी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान।

(ii) वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (पीएम-एसवाईएम) के लिए विकल्प चुना है।

(iii) वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधान मंत्री लघु व्यपारी मान-धन योजना (पीएम-एलवीएम) के लिए विकल्प चुना है।

(iv) इसके अतिरिक्त, उच्चतर आर्थिक स्थिति वाले निम्नलिखित श्रेणियों के लाभाग्राही भी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे:-

(क) सभी संस्थागत भू-धारक और

(ख) भूतपूर्व और वर्तमान संवैघानिक पद धारक

(ग) भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और भूतपूर्व और वर्तमान लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के सदस्य और भूतपूर्व और वर्तमान नगर निगमों के मेयर, भूतपूर्व और वर्तमान जिला पंचायतों के अध्यक्ष।

(घ) केंद्रीय/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी क्षेत्र यूनिटों केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और संबद्ध कार्यालयों/सरकार के अधीन स्वायत शासी के सभी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी और साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (जिनमें बहु कृत्यिक कर्मचारी/चतुर्थ श्रेणीसमूह 'घ' कर्मचारी शामिल नहीं हैं)

(ड.) वे सभी व्यक्ति पिछले मूल्यांकन वर्ष में आय कर का भुगतान किया।

(च) डॉक्टर, इंजीनियनर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेट्स और वास्तुकार जैसे पेशेवर जो पेशेवर निकायों में पंजीकृत हैं और निजी प्रैक्टिस के द्वारा अपना पेशा चला रहे हैं।

5. स्कीम के तहत लाभग्राहियेां की पात्रता के निर्धारण के लिए अंतिम तारीख क्या है?

स्कीम के तहत लाभग्राहियों की पात्रता के निर्धारण के लिए अंतिम तारीख 01.08.2019 है।

6. स्कीम के अंतर्गत लघु और सीमांत किसानों द्वारा अंशदान की दर क्या है?

पात्र अभिदाता के लिए अंशदान की दर 55/- रु. से 200/- प्रति माह के बीच है जो स्कीम में शामिल होने की आयु पर निर्भर है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

शामिल होने की तारीख	अधिवर्षिता की आयु	सदस्य का अंशदान (रु.)	सरकार का अंशदान (रु.)	कुल अंशदान (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	60	55	55	110
19	60	58	58	116
20	60	61	61	122
21	60	64	64	128
22	60	68	68	136
23	60	72	72	144
24	60	76	76	152
25	60	80	80	160
26	60	85	85	170
27	60	90	90	180
28	60	95	95	190
29	60	100	100	200
30	60	105	105	210
31	60	110	110	220
32	60	120	120	240
33	60	130	130	260
34	60	140	140	280
35	60	150	150	300
36	60	160	160	320
37	60	170	170	340
38	60	180	180	360
39	60	190	190	380
40	60	200	200	400

7. क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/स्वायतशासी संगठन आदि का कोई कर्मचारी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है?

नहीं। केन्द्रीय/राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों कार्यालयों और उनकी क्षेत्र इकाइयों, केन्द्रीय और राज्य पीएसयू और संबद्ध कार्यालयों/सरकार के अधीन स्वायतशासी संस्थाओं और साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। तथापि, सेवारत या सेवानिवृत मल्टी टास्क स्टाफ/क्लास-iv/समूह घ कर्मचारी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र है बशर्ते वे अन्य पात्रता मानदण्ड पूरे करते हों।

8. **क्या कोई किसान जिसके स्वामित्व में 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि है इस स्कीम के तहत कोई लाभ प्राप्त करने का पात्र है?**

नहीं, 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व वाले कोई किसान स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

9. **यदि कोई लाभग्राही स्कीम का पात्र अभिदाता बनने के लिए असत्य घोषणा प्रदान करता है तो क्या होगा?**

असत्य घोषणा देने की स्थिति में लाभग्राही को उसका अंशदान बिना ब्याज लौटाया जा सकता है। केन्द्र सरकार का मैंचिग योगदान रोक दिया जाएगा।

10. **क्या कोई व्यक्ति/किसान, जिसके पास स्वयं अपने नाम पर भू-जोत नहीं है, स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने का पात्र है?**

नहीं। भू-जोत का स्वामित्व होना स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्रता का मानदण्ड है।

11. **स्कीम के तहत अभिदाता की पहचान करके कैसे स्कीम के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा?**

विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में विद्यमान भू-स्वामित्व प्रणाली/भू-अभिलेख कतिपय अपवर्जन मानदण्ड के अध्यधीन पात्र लघु और सीमांत किसान की पहचान के लिए उपयोग किया जाएगा।

12. **स्कीम के तहत पात्र अभिदाताओं के पंजीकरण के लिए कौन-कौन सी अनिवार्य सूचना वांछित होगी?**

लाभग्राही पंजीकरण के समय निम्नलिखित सूचना उपलबध कराएगा :-

- किसान का/प्रति/पत्नी का नाम
- किसान का/पति/पत्नी का जन्म तिथि
- बैंक खाता संख्या
- आईएफएसएसी/एमआईसीआर कोड
- मोबाईल नंबर
- आधार नंबर
- अनिवार्य पंजीकरण के लिए अपेक्षित पासबुक में मौजूद उपभोक्ता से संबंधित अन्य सूचना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएमकिसान) स्कीम के तहत उपभोक्ता से संबंधित सभी अभिलेखन और उसके विधि मान्यकरण का दायित्व भारतीय सामान्य सेवा केन्द्र ई-सुशासन सेवा लिमिटेड-विशेष प्रयोजन माध्यम (सीएससी-एसपीवी) अथवा राज्य नोडल अधिकारियों (एसएनओ) का होगा। यदि संबंधित व्यक्ति/महिला द्वारा उसके खातों में जमा राशि पर उपभोक्ता द्वारा बाद की तारीख में कोई विवाद खड़ा किया जाता है तो विवाद का समाधान करने संबंधी दायित्व पूरी तरह से एलआईसी का इस प्रकार होगा कि उपभोक्ता संतुष्ट हो सके।

13. स्कीम के लिए पेंशन कोष प्रबंधक के रूप में कौन कार्य करेगा।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पेंशन कोष प्रबंधक होने के साथ-साथ पेंशन की अदायगी का जिम्मेदार होगा।

14. क्या स्कीम में दिया जाने वाला अंशदान पीएम-किसान स्कीम से प्राप्त लाभों से किया जा सकता है।

जी हां, एसएमएफ के पास ये विकल्प होगा कि वे पीएम-किसान स्कीम से प्राप्त वित्तीय लाभों से स्कीम में सीधे स्वैच्छिक अंशदान कर सकें।

पीएमकेएमवाई में योगदान करने हेतु पीएम-किसान लाभ का उपयोग करने के इच्छुक पात्र एसएमएफ को अपने बैंक खातें में स्वत: धनराशि जमा करने के प्रयोजनार्थ अपनी सहमति देने हेतु एक नामांकन एवं स्वत: जमा अधिदेश पर हस्ताक्षर करके उसे जमा कराएंगे ताकि अंशदान स्वत: अदा हो जाए।

15. यदि अंशदाता पीएम-किसान लाभों से प्राप्त स्वत: जमा प्रकिया के प्रति अपनी सहमति नही देना चाहता है अथवा वह पीएम-किसान का लाभाथी नही है तो उसके उपभोक्ता द्वारा मासिक अंशदान कैसे किया जा सकता है

पीएम-किसान का गैर-लाभार्थी अथवा पीएम-किसान से प्राप्त लाभ से भुगतान की अनुमति देने के प्रति पात्र एसएमएफ स्वत: जमा प्रक्रिया के लिए अपनी सहमति देने के प्रयोजनार्थ एक नामांकन एवं स्वत: जमा अधिदेश प्रस्तुत करेगा जो उसके द्वारा सामान्यत: बैंक संबंधी आदान-प्रदान के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है।

16. पेंशन निधि किस प्रकार तैयार होती है?

केन्द्र सरकार कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के जरिए पात्र उपभोक्ता द्वारा अंशदानकृत राशि के समकक्ष अंशदान पेंशन निधि में जमा करेगा। ऐसे अंशदानों के खातें का अनुरक्षण एलआईसी द्वारा अलग से किया जाएगा तथा यह सह अंशदान समय-समय पर निधि उपार्जन के साथ अंतिम तारीख से पेंशन भुगतान के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। सह अंशदानों को परिपक्तता न होने की स्थिति में उसे अंशदाताओं को नहीं दिया जाएगा। ऐसे मामलें में निधि उपार्जन सहित सह अंशदानों को पेंशन निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।

17. क्या राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को यह अनुमति है कि वे एसएमएफ लाभार्थी का भार शेयर करे।

जी हां, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास यह विकल्प होगा की वे एसएमएफ लाभार्थी के अंशदान का भार शेयर करें।

18. मासिक अंशदान की देय तिथि क्या होगी?

मासिक अंशदान जमा करने की तिथि नामांकन की तिथि के रूप में उसी दिन देय होगा । लाभार्थी अपना अंशदान तिमाही, चार माही अथवा छह माही आधार पर अदा करने का भी विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे अंशदान को नामांकन की तारीख के अनुरूप ऐसी अवधि के उसी दिन अदा करना होगा।

19. क्या निर्धारित तारीख से पहले अंशदाता की मृत्यु होने की स्थिति में अंशदाता का पति अथवा पत्नी अंशदान जारी रख सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों के तहत अपेक्षित लाभ क्या होंगे।

निर्धारित तारखी से पहले अंशदाता की मृत्यु होने की स्थिति में अंशदाता के पति अथवा पत्नी के पास यह विकल्प होगा कि वह स्कीम के तहत शेष अंशदानों का भुगतान करके स्कीम को जारी रख सकें बर्शत कि वह पहले से ही स्कीम का एसएमएफ लाभार्थी न हो । अंशदान की दर और निर्धारित तारीख पहली जैसी रहेगी। पेंशन से प्राप्त लाभों की संगणना उसी प्रकार की जाएगी जैसे कि अंशदाता जीवित हो। तथापि यह पेंशन पति अथवा पत्नी की प्रति देय होगी। निर्धारित तारीख के बाद पती अथवा पत्नी के मृत्यु होने पर पेंशन के लाभ पेंशन निधि में अंतरित कर दिए जाएंगे।

निर्धारित तारीख से पहले अंशदाता की मृत्यु होने की स्थिति में यदि पति अथवा पत्नी स्कीम के तहत इस विकल्प को जारी नहीं रखते हैं तब उपार्जित निधि ब्याज अथवा बचत बैंक ब्याज सहित अंशदाता के अंशदान को, जो भी अधिक हो, स्कीम के तहत पति अथवा पत्नी को अदा किया जाएगा।

निर्धारित तारीख से पहले अंशदाता की मृत्यु होने की स्थिति में पति अथवा पत्नी के न होने पर उपार्जित निधि ब्याज अथवा बचत बैंक ब्याज सहित अंशदाता का अंशदान, जो भी अधिक हो, स्कीम के तहत नामिति/नामितियों को अदा किया जाएगा। बचत बैंक ब्याज और उपार्जित निधि ब्याज, यदि कोई है, के बीच भिन्न राशि को समायोजित करने के बाद उसकी अदायगी उपार्जित निधि ब्याज सहित सरकार द्वारा की जाएगी। सह अंशदान सरकार की पेंशन निधि में डाल दिया जाएगा।

यदि अंशदाता की निर्धारित तारीख के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसका पति अथवा पत्नी परिवार पेंशन के रूप में ऐसे पात्र अंशदाता द्वारा प्राप्त पेंशन का 50 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने का हकदार होगा। बशर्ते कि वह पहले से ही स्कीम का एसएमएफ लाभार्थी न हो तथा ऐसी परिवार पेंशन केवल पति अथवा पत्नी पर ही लागू होगी।

अंशदाता और उसके पति अथवा उसकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद संबंधित लाभ अर्थात अंशदाता और सरकार द्वारा किए गए संचित अंशदान उसकी निधि में डाल दिए जाएंगे।

20. सीएससी अंशदाता को कब पेंशन कार्ड जारी करता है?

सीएससी केन्द्रों में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऐसे किसानों की सहमति लेने के लिए एक नामांकन एवं स्वत: जमा अधिदेश प्रपत्र तैयार किया जाएगा जो अंशदाता द्वारा हस्ताक्षरित

अपने बैंक खातों से प्राप्त पीएम-किसान संबंधी लाभों की स्वत: जमा प्रक्रिया के संबंध में पीएम-किसान स्कीम के भी लाभार्थी हैं।

उन किसानों के मामलों में जो पीएम-किसान स्कीम के लाभार्थी नहीं हैं, नामांकन एवं स्वत: जमा अधिदेश प्रपत्र उनके बैंक खातों में स्वत: प्रक्रिया हेतु उनकी सहमति लेने के प्रयोजनार्थ तैयार किया जाएगा जिस पर अंशदाता के हस्ताक्षर होंगे।

सीएससी केन्द्र हस्ताक्षरित नामांकन एवं स्वत: जमा अधिदेश प्रपत्र और हस्ताक्ष्र करने के बाद उसे सीएससी सिस्टम पर अपलोड करेंगे।

इसके बाद एक पेंशन कार्ड तैयार करके उसे पेंशन खातें में प्रमाण के रूप में अंशदाता को दे दिया जाएगा।

21. क्या स्कीम के तहत आवेदक किसान/उसके पति अथवा पत्नी से कोई नामांकन शुल्क लिया जाएगा।

सीएससी केन्द्रों पर नामांकन नि:शुल्क होता है तथा आवेदक किसान/उसके पति अथवा पत्नी को इस प्रयोजनार्थ कोई भी शुल्क नहीं देना होगा।

22. क्या सीएससी के जरिए नामांकन कराने के अलावा पात्र लाभार्थी के पंजीकरण हेतु कोई अन्य विकल्प है?

पात्र लाभार्थी वैकल्पिक रूप में अपने संबंधित जिलों के राज्य नोडल अधिकारियों (उनके द्वारा निर्धारित अभिकरण) से संपर्क करके अपना नामांकन करा सकते हैं।

23. अंशदाता अपने गलत बैंक खातों को अथवा अन्य संबंधित ब्यौरो को किस प्रकार परिवर्तित करेगा।

कोई अंशदाता जो बैंक से संबंधित ब्यौरों अथवा अन्य ब्यौरों का बदलना चाहता है तब वह अपने पीएम-केएमवाई नंबर और आधार कार्ड के साथ सीएससी में मौजूद ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) अथवा सीएससी से मिलेगा। तथापि अंशदाता की जन्म तिथि को किसी भी प्रकार बदला नहीं जायेगा। वीएलई सीएससी पर समय-समय पर सरकार द्वारा विनियम धनराशि शुल्क की अदायगी करके संबंधित सदस्य के ब्यौरों को विधिमान्यकृत करेगा।

24. भुगतान में दोष होने की स्थिति से संबंधित क्या प्रावधान किए गए है?

क. प्राय: ऐसा होता है कि अंशदाता के बैंक खातें में स्वत: अंशदान करने के लिए पर्याप्त राशि नही होती है। जब अंशदान स्वत: जमा भुगतान अंशदान की देय तारीख के तुरत बाद सफल नही हो पाता है तो उस समय अंशदाता के खाते को दोषपूर्ण माना जाएगा अथवा उस खाते के दोषग्रस्त समझा जाएगा।

ख. इसके बाद मांग को अगले भुगतान चरण में दोहराया जाएगा।

(ग) जब पीएमकेएसवाई पेंशन खाते में कोई कमी होती है तब उसे सभी अंशदानों के भुगतान सहित इस प्रकार विनियमित किया जा सकता है कि वह ब्याज सहित निम्नानुसार देय हो जाए:

i. प्रथम गैर प्रदत्त अंशदान से एक माह की अवधि तक कोई भी विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। खातों को अंशदान राशि की अदायगी पर विनियमित किया जा सकता है। तीन भुगतान चरण मांग बिना किसी ब्याज के अंशदान की अदायगी हेतु की जाएगी।

ii. अंतिम गैर प्रदत्त अंशदान से एक माह के बाद:

1. भुगतान को विनिर्दिष्ट भुगतान चरण में प्रसंस्करणकृत किया जाएगा।
2. उस अंशदान की राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा जो अग्रवर्ती भुगतान चरण तिथि के तत्काल बाद देय हो जाता है।
3. तथापि यदि भुगतान की तारीख के तत्काल बाद देय तिथि पर किस्तों की जमा राशि देय होने पर बचत बैंक ब्याज राशि पर विलंब शुल्क लिया जाएगा। ऐसे विलंब शुल्क को भुगतान तारीख के बाद देय तारीख पर किस्तों में अदा किया जाएगा। यदि किसी विशेष किस्त की अदायगी में चूक की अवधि 12 माह हो जाती है तो ब्याज की वसूली भी सरल और सहज ढ़ंग से की जाएगी। तथापि किसी विशेष किस्त की चूक अवधि 12 महीने से अधिक हो जाती है तो पूरी अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज तथा शेष अवधि के लिए सरल ब्याज लिया जाएगा।
4. ब्याज की दर/विलंब शुल्क इस प्रकार होगा कि वह भारत सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित भुगतान की तारीख पर देय हो।
5. किसी विवाद की स्थिति में एलआईसी द्वारा लिए गए निर्णय पर लाभार्थी को ही अमल करना होगा।

(iii) लिए गए ब्याज/विलंब शुल्क पेंशन खाते में डाल दिया जाएगा और वह स्कीम के तहत निधि उपार्जन का एक भाग होगा।

(iv) ब्याज की वसूली धनराशि जमा करने की तारीख अथवा वार्षिक आधार पर ही वसूल की जाएगी। भारत सरकार द्वारा सह अंशदान के समकक्ष राशि खाते में डाली जाएगी जिसका अलग से अनुरक्षण होगा और निधि के इस हिस्से का उपयोग अंतिम तारीख पर पेंशन निधि के लिए किया जाएगा।

(घ) यदि अंशदान 6 माह की अवधि तक अदा नहीं किए जाते हैं तो खाते की इस स्थिति को डोरमेंट में परिवर्तित कर दिया जाएगा तथा डोरमेंट खाते की मांग को आगे से नहीं उठाया जाएगा। तथापि उपर्युक्त एसएमएस/नोटिस गैर प्रदत्त अंशदान की तारीख से 3 वर्षों के अवधि के लिए डोरमेंट स्थिति वाले खातों के लिए भेजे जाएंगे। तथापि, संबंधित व्यक्ति/महिला समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर के साथ संपूर्ण शेष देय की अदायगी करके अपने अंशदान को जारी रख सकते हैं/रख सकती हैं।

(ड.) अंतिम गैर प्रदत्त अंशदान की तारीख से 3 वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद एसएमएस अलर्ट नोटिस रोक दिए जाएंगे। तथापि अंशदाता समर्पित कॉल केन्द्रों अथवा मेक ऑन लाइन वेब पूछताछ के जरिए अपने खाते की स्थिति के बारे में जान सकते हैं, तथापि, उस व्यक्ति/महिला से

यह कहा जाएगा कि वे समय-समय पर भारत सरकार द्वारा विनिर्धारित ब्याज दर संपूर्ण शेष देयताओं की अदायगी करके अपने अंशदान को विनियमित कर सकते हैं।

(च) यदि कोई लाभार्थी पीएम-केएमवाई के तहत पेंशन के लिए अपात्र हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका खाता सक्रिय रहेगा, तथापि, इस संबंध में सरकार के अंशदान (50 प्रतिशत) को रोक दिया जाएगा। यदि लाभार्थी अंशदान की संपूर्ण राशि अदा करने के लिए सहमत है तो उसे खाते को प्रचालित करने की अनुमति दी जाएगी। 60 वर्ष की आयु होने पर उसे प्रचलित बचत बैंक दर के समकक्ष ब्याज सहित अपना अंशदान वापस लेने की अनुमति होगी।

25. क्या योजना के तहत पेंशन के कम्युटेशन के लिए कोई प्रावधान है?

इसमें पेंशन के कम्युटेशन का कोई प्रावधान नहीं है।

26. योजना के तहत नामांकन की प्रक्रिया क्या है?

प्रत्येक ग्राहक, मृत्यु की स्थिति में योजना के लाभों को प्राप्त करने के लिए योजना के तहत लाभार्थी या लाभार्थियों के रूप में पति/पत्नी या आश्रितों को नियुक्त/ नामित करेगा।

इस नियम के तहत की जाने वाली प्रत्येक नियुक्ति/नामांकन सब्सक्राइबर द्वारा हस्ताक्षरित होगा और लाभार्थी की मृत्यु तक या जब तक उसी द्वारा लिखित में रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेगा और उपर्युक्त तरीके से एक नई नियुक्ति/नामांकन उसी प्रकार की जाएगी जैसे पहले की गई थी।

एक ग्राहक समय-समय पर या किसी भी समय नामिति की सहमति के बिना, यदि कोई हो, तो ऑनलाइन या सीएससी में निर्धारित प्रपत्र में परिवर्तन की एक लिखित सूचना भरकर नामांकन को रद्द या बदल सकता है, जिसमें परिवर्तन की एक पावती है और नए नामांकित व्यक्ति के नाम का पंजीकरण ग्राहक को ऑनलाइन/सीएससी पर दिया जाएगा। नई नियुक्ति उस तिथि को प्रभावी होगी जब नोटिस में हस्ताक्षर किए गए थे चाहे परिवर्तन की पावती की तारीख को ग्राहक जीवित हो या ना हो किंतु इसका इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा की निगम ने परिवर्तन की जानकारी मिलने से पहले भुगतान कर दिया है।

यदि कोई नॉमिनी नियुक्ति के समय नाबालिग होगा या अन्यथा विकलांगता के तहत एक कानूनी रसीद देने के लिए या एलआईसी को डिस्चार्ज करने के लिए, सब्सक्राइबर को ऐसी नियुक्ति के समय में होना चाहिए जैसे कि पूर्वोक्त व्यक्ति को नियुक्त करना जो प्रमुख है और जो देने में सक्षम है एक कानूनी रसीद या निगम को डिस्चार्ज और जिसका लाभ ऐसे अल्पसंख्यक या विकलांगता के रूप में इतने लंबे समय तक नामित व्यक्ति की ओर से भुगतान किया जाना है।

यदि एक से अधिक नॉमिनी नियुक्त किए जाते हैं और इस तरह की नियुक्ति में सब्सक्राइबर अपने संबंधित हित को निर्दिष्ट करने में विफल रहा है तो नामांकित व्यक्ति समान रूप से साझा करेंगे। यदि कोई नामित नॉमिनी सब्सक्राइबर को नामित करता है तो ऐसे नॉमिनी का हित समाप्त

हो जाएगा और उसका हिस्सा शेष बचे नॉमिनी को समान देय होगा जब तक कि सब्सक्राइबर ने लिखित रूप में एलआईसी को अन्यथा लिखित अनुरोध नहीं किया है।

27. समीक्षा, निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र की प्रक्रिया क्या है?

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मैटी), व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग के सचिवों और सदस्य के रूप में कोई अन्य संबंधित सचिव सहित कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक अधिकार प्राप्त समिति, उचित कार्यान्वयन रणनीतियों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करेगी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित योजना के समग्र वित्तीय मापदंडों के भीतर योजना में किसी भी संशोधन को मंजूरी देगी।

योजना का समग्र क्रियान्वयन डीएसीएवंएफडब्ल्यू में केंद्रीय स्तर पर पीएम-किसान योजना के लिए स्थापित परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) द्वारा किया जाएगा। पीएमयू इस योजना के लिए प्रचार (सूचना, शिक्षा और संचार-आईईसी) अभियान भी चलाएगा और विभिन्न प्रशासनिक खर्च भी करेगा।

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार योजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल विभाग नामित करेगी और योजना के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र सरकार के साथ समन्वय करेगी।

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना राज्य नोडल अधिकारियों, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और क्षेत्रीय प्रबंधक, एलआईसी के प्रतिनिधित्व के अनुसार राज्य और जिला स्तर दोनों पर की जाएगी। इसी प्रकार, जिला स्तर पर जिला स्तर के सरकारी अधिकारियों के साथ डीएलबीसी और जीवन बीमा योजना के प्रतिनिधि होंगे।

नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) सिस्टम के माध्यम से रूट किए गए लेन-देन की सीमा तक और सभी विवादों को एनपीसीआई द्वारा प्रदान किए गए विवाद प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) के माध्यम से बैंकों द्वारा रूट किया जाना चाहिए। प्रायोजक बैंक पर उठाए गए विवादों का विवाद की तारीख से 30 दिनों के भीतर हल किया जाएगा। यदि प्रायोजक बैंक सहमत समय-सीमा के भीतर विवाद का जवाब देने/हल करने में विफल रहता है तो विवादित राशि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ बनाए गए प्रायोजक बैंक के निपटान खाते से डेबिट की जाएगी।

उक्त बताए गए विवादों के अलावा कोई भी विवाद जीवन बीमा योजना, प्रायोजक बैंक और मंत्रालय द्वारा भाग लेने वाले अन्य हितधारकों पर किसी भी देयता के बिना हल किया जाएगा।

निष्पादन, शिकायत निवारण, विवाद समाधान आदि से संबंधित कोई भी मामला संयुक्त सचिव (किसान कल्याण), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है।

****